

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. 9/3/2006/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना.

संदर्भ.—विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ. 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13-4-2005.

मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिये संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13-4-2005 द्वारा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है. उक्त अंशदान पेंशन योजना के संदर्भ में कतिपय विभागों ने यह जानना चाहा है कि जो अधिकारी/कर्मचारी पूर्व से सेवा में हैं तथा जिनकी नवीन नियुक्ति पी.एस.सी./निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् की गई है उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू होंगे अथवा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1-1-2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में हैं तथा जिनकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् की गई है, ऐसे मामलों में मध्यप्रदेश सिविल (पेंशन) नियम, 1976 लागू होंगे. ऐसे कर्मचारियों के मामलों में वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 13-4-2005 द्वारा जारी अंशदान पेंशन योजना लागू नहीं होगी.


अज्ञी
(ए.पी. श्रीवास्तव)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल.
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल.
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
 4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
 6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
 11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
 12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
 13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
 15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए.
 17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल.
 18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल.
 19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश.
 20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
 21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल.
 22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष 84, मंत्रालय, भोपाल.
 23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
 24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी.
 25. गार्ड फाइल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित.


 (पी.सी. वर्मा)
 उप सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग